



2026:AHC:68027

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 528 के तहत आवेदन बी.एन.एस.एस. सं - 12854 वर्ष 2026

निशांत यादव आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: अभिलाषा सिंह, आशुतोष यादव, एस. लाल

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 74

माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक वर्मा

1. आवेदक के अधिवक्ता को सुना; राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या-04, मेरठ की धारा 138 एन.आई. अधिनियम, थानाजानी, जिला मेरठ के न्यायालय में लंबित शिकायत मामले संख्या-6305 वर्ष 2024 (निशांत कुमार बनाम निशांत यादव) द्वारा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या-04, मेरठ के न्यायालय में लंबित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या-04, मेरठ में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या-04, मेरठ द्वारा पारित समन आदेश दिनांक 18.05.2024 को रद्द करने के लिए प्रस्तुत आवेदन दायर किया गया है।
3. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि प्रतिपक्षी संख्या-2 आवेदक के साथ काम कर रहा था और जब प्रतिपक्षी संख्या-2 ने उसका वेतन मांगा, तो आवेदक ने विवादित चेक दिया। जब चेक बैंक में प्रस्तुत किया गया, तो उसका अनादर कर दिया गया। इसके बाद, आवेदक को पंजीकृत नोटिस भेजा गया था लेकिन आवेदक ने राशि का भुगतान नहीं किया, इसलिए वर्तमान शिकायत।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि शिकायत की सामग्री और प्रस्तुत किए गए सबूतों के अवलोकन पर, कथित धारा के तहत आवेदक के खिलाफ कोई अपराध नहीं किया जाता है। आक्षेपित आदेश मनमाने तरीके से पारित किया गया है और इसे रद्द किया जाना है। आवेदक के अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक ने गुम चेक के बारे में थाना में सूचित किया था और राज कुमार खुराना बनाम दिल्ली राज्य (एन.सी.टी.) और अन्य 2009 एस.टी.पीएल 9840 एस.सी. में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मददेनजर, कोई कार्यवाही नहीं चल सकती है यदि उक्त चेक चोरी हो गया था और थाना द्वारा नहीं पाया गया था। आवेदक ने इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा धारा 482 संख्या-2440 वर्ष 2016 के तहत 03.01.2025 को समन आदेश के संबंध में निर्णय दिए गए आवेदन पर भरोसा किया है जो एक तर्कसंगत आदेश नहीं है और इसे रद्द करने योग्य है।

5. अपर शासकीय अधिवक्ता ने उपरोक्त मामले की कार्यवाही को रद्द करने के लिए प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि आक्षेपित आदेश किसी भी अवैधता या दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है।

6. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्क पर विचार किया। चेक के गुम होने के संबंध में आवेदक के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्क को आवेदक का बचाव कहा जा सकता है। इसके अलावा, आवेदक के अधिवक्ता द्वारा दिया गया निर्णय इस मामले में लागू नहीं होता है क्योंकि राजकुमार खुराना (उपरोक्त) में साक्ष्य की मूल्यांकन के बाद मुकदमा समाप्त हो गया था और निर्णय और आदेश के खिलाफ मुकदमा पूरा होने के बाद, शीर्ष न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई थी। प्रस्तुत मामले में, अदालत ने सबूतों की जांच नहीं की है और पक्षकारों को सबूत पेश करने होंगे। न्यायालय को मामले के गुण-दोष में नहीं जाना है और उसे केवल यह विचार करना है कि आवेदक के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध किया गया है या नहीं। इस प्रकार, आवेदक के अधिवक्ता द्वारा उठाया गया तर्क तथ्यों का विवादित प्रश्न है। आवेदक की दूसरी प्रस्तुति विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित गैर-बोलने वाले आदेश के संबंध में है, जिसे रद्द किया जा सकता है। समन आदेश के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने आवेदक को तलब करने से पहले शिकायतों के साथ-साथ धारा 200 द०प्र०स० के तहत



दर्ज किए गए बयान, चेक प्रस्तुत किए गए, बैंक फ़र्द रिटर्न और धारा 138 एन.आई. अधिनियम के तहत कार्यवाही के तहत आरोपी व्यक्तियों को बुलाने के लिए पंजीकृत नोटिस पर विचार किया है और उनका अवलोकन किया है। विद्वान मजिस्ट्रेट ने समन आदेश जारी करने से पहले सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार किया है। यह भी स्पष्ट है कि आवेदक ने चेक भुगतान रोकने के संबंध में बैंक को सूचित नहीं किया है और अपर्याप्त निधि के कारण चेक अस्वीकार कर दिया गया है। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए सबमिशन की इस स्तर पर जांच नहीं की जा सकती है।

7. श्री ओम सेल्स बनाम अभय कुमार @ अभय पटेल और 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 2897 में रिपोर्ट किए गए अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णयों पर विचार किया है:

"14. मारुति उद्योग लिमिटेड बनाम नरेंद्र और अन्य में, इस न्यायालय ने माना कि एक अनुमान लगाया जाना चाहिए कि चेक के धारक को किसी भी ऋण या अन्य दायित्व के निर्वहन के लिए धारा 138 में निर्दिष्ट प्रकृति का चेक प्राप्त हुआ है, जब तक कि तत्सम्य विपरीत साबित न हो जाए और इसलिए, उच्च न्यायालय कार्यवाही के प्रारंभिक चरण में अभियुक्त की याचिका पर विचार करने और उसे स्वीकार करने और शिकायत को रद्द करने में उचित नहीं था।

15. इसी तरह, रंगप्पा बनाम श्री मोहन में, यह माना गया था कि एन.आई. अधिनियम की धारा 139 द्वारा अनिवार्य अनुमान में कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या देयता का अस्तित्व शामिल है। यह देखा गया कि इस तरह की धारणा खंडन योग्य है, और अभियुक्त को मुकदमे में अपना बचाव करना चाहिए।

16. राजेशभाई मुलजीभाई पटेल बनाम गुजरात राज्य में, यह माना गया था कि उच्च न्यायालय को ऋण या देयता के निर्वहन के लिए जारी किए जा रहे चेक के संबंध में तथ्य के विवादित प्रश्नों में जाकर एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत आपराधिक शिकायत को रद्द नहीं करना चाहिए। इसके अलावा, जब एन.आई. अधिनियम की धारा 139 ऋण

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



या देयता के निर्वहन के लिए जारी किए जा रहे चेक के संबंध में एक वैधानिक अनुमान लगाती है।

17. रतीश बाबू उन्नीकृष्णन बनाम राज्य (दिल्ली का एन.सी.टी.) में, इस न्यायालय ने माना कि जब एन.आई. अधिनियम की धारा 139 के तहत कोई कानूनी धारणा होती है, तो शिकायत को रद्द करने के लिए पूर्व-परीक्षण चरण में तथ्य के विवादित प्रश्न पर विस्तृत जांच करना विवेकपूर्ण नहीं होगा। निर्णय में प्रासंगिक टिप्पणियां नीचे दी गई हैं:

"17. जैसा कि ऊपर निर्धारित कानून का प्रस्ताव यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है कि अदालत को पूर्व-परीक्षण चरण में शिकायत को रद्द करने की राहत देने में धीमा होना चाहिए, जब तथ्यात्मक विवाद विशेष रूप से कानूनी अनुमान के कारण संभावना के दायरे में हो, जैसा कि इस मामले में है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि किसी भी सबूत को जोड़ने के बिना तथ्यात्मक बचाव को एक अभेद्य गुणवत्ता की आवश्यकता है, ताकि शिकायत में लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया जा सके।

18. पूर्व-परीक्षण चरण में आपराधिक प्रक्रिया को बाधित करने के परिणाम गंभीर और अपूरणीय हो सकते हैं। प्रारंभिक चरणों में कार्यवाही को रद्द करने के परिणामस्वरूप पक्षों को सबूत पेश करने का अवसर नहीं मिलेगा और इसका परिणाम यह होगा कि उचित मंच यानी विचारण न्यायालय को भौतिक साक्ष्य का वजन करने से बाहर कर दिया जाता है। यदि इसकी अनुमति दी जाती है, तो अभियुक्त को आपराधिक प्रक्रिया में अनुचित लाभ दिया जा सकता है। इसके अलावा, कानूनी अनुमान के कारण, जब अपीलकर्ता द्वारा चेक और हस्ताक्षर पर विवाद नहीं किया जाता है, तो इस स्तर पर सुविधा का संतुलन शिकायतकर्ता/अभियोजन पक्ष के पक्ष में होता है, क्योंकि अभियुक्त को अनुमान का खंडन करने के लिए मुकदमे के दौरान बचाव पक्ष में साक्ष्य पेश करने का अवसर मिलेगा।

19. इस प्रकार, शिकायतकर्ता पर मुकदमा न करने के लिए, सम्मन आदेश के चरण में, जब तथ्यात्मक विवाद को अभी तक प्रचारित नहीं किया गया



है और विचारण न्यायालय द्वारा विचार किया जाना है, तो हमारी राय में विवेकपूर्ण नहीं होगा। प्रथम दृष्टया धारणा के आधार पर, विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारण के अधीन यहां आपराधिकता के एक तत्व को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। इसलिए, जब कार्यवाही प्रारंभिक चरण में होती है, तो आपराधिक प्रक्रिया को रद्द करने के योग्य नहीं है।

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त मामले का निर्णय करते समय, प्रस्तर-13 और 18 में कहा है कि:

"13. हालांकि, उच्च न्यायालय ने धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में, यह परीक्षण करने के लिए आगे बढ़े कि क्या चेक किसी भी ऋण या अन्य देयता के पूरे या आंशिक रूप से निर्वहन के लिए जारी किया गया था। हमारे विचार में, इस तरह की कवायद अनुचित थी क्योंकि, एन.आई. अधिनियम की धारा 139 के तहत, एक धारणा है कि चेक के धारक को किसी भी ऋण या अन्य देयता के निर्वहन के लिए, पूरी तरह या आंशिक रूप से, धारा 138 में निर्दिष्ट प्रकृति का चेक प्राप्त हुआ था। इस अनुमान का खंडन मुकदमे में किए गए सबूतों द्वारा किया जा सकता है। एक फोर्टियोरी, उक्त मुद्दे को उचित रूप से या तो मुकदमे में, या बाद में, मुकदमे के समापन पर, अपीलीय/पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा तय किया जा सकता है। "

18. इस न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णयों के साथ-साथ एन.आई. अधिनियम की धारा 139 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने ऋण या देयता के निर्वहन के लिए जारी किए जा रहे चेक के संबंध में, पूर्व-परीक्षण चरण में एक रोविंग जांच करके एक त्रुटि की है। हमारे विचार में, इस तरह की कवायद संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करने के योग्य नहीं थी, खासकर जब शिकायत के आरोपों से पता चला कि चेक दायित्व के निर्वहन के लिए जारी किया गया था। चूंकि धारा 138 एन.आई. अधिनियम के आवश्यक अवयवों की पूर्ति प्रथम दृष्टया शिकायत के आरोपों से



बनाई गई है, हमारे विचार में, न तो सम्मन आदेश और न ही शिकायत को
उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व-परीक्षण चरण में रद्द किया जा सकता था।

9. सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय द्वारा किसी भी
हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, प्रस्तुत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

मार्च 31, 2026

मीनू सिंह

(न्यायमूर्ति दीपक वर्मा)

Translated Version. Not for Legal Use.